Mahatma Gandhi And Gram Swarajaya: In Present Perspective

Dr. Shalini Chaturvedi
Associate Professor,
Department of Public Administration,
University of Rajasthan,Jaipur.

महात्मा गांधी और ग्राम स्वराज्यः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. शालिनी चतुर्वेदी
सह आचार्य, लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांशः–

प्रस्तुत आलेख महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य संकल्पना का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिंतन, मनन व पूनः पाठ विमर्श है। इसमें यह देखने का प्रयास किया गया है कि ग्राम स्वराज की संकल्पना वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था में कितनी प्रासंगिक है।

ग्राम स्वराज के संदर्भ में तुलसी के लोक मंगल की अवधारणा, रामराज्य की अवधारणा, लोकतंत्र का जीवन्त स्वरूप ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के निहितार्थ रूप में देखा गया है। वर्तमान संदर्भ में यह प्रतीत होता है कि वैश्विक धरातल पर जहाँ हम वैश्विकता के नाम पर गांवों से दूर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व तकनीकी प्रधान समाज पर पुरजोर दे रहे है वहाँ गांधी की ग्राम स्वराजय की संकल्पना कितनी औचित्यपूर्ण है।

महात्मा गांधी का दर्शन व चिंतन गांवों के विकास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की मूल आत्मा मानता है। गांधीजी के विचारों में लोक (जनता) सबसे महत्वपूर्ण है, बिना लोक के राष्ट्र की अवधारणा बेमानी है। अतः इसी लोक के सर्वागीण विकास के लिये ग्राम स्वराज की संकल्पना को विकसित किया गया। ग्राम स्वराज की पूर्णरूपेण प्राप्ति व्यक्ति की स्वाधीन चेतना के साथ विकसित होती है। व्यक्ति जब तक सामाजिक व आर्थिक रूप से समानता का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक स्वाधीनता मात्रा छलावा है। लोक ही भारतीय शासन व्यवस्था का केन्द्रीय तत्व है, उसकी आत्मा है। महात्मा गांधी का समूचा चिंतन और दर्शन लोक अर्थात ग्राम को केन्द्र में रखकर संचालित हुआ है। इसी आधार पर गांधी का मानना था कि भारत के विकास की अवधारणा और संरचना गांवों को केन्द्र में रखकर ही विकसित की जाए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है।

प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती और पुण्य तिथी पर सुंदर व मार्मिक शब्दों और सुगन्धित पुष्पों द्वारा उन्हें श्रृंद्धाजलि अर्पित करने वाले राजनीति के पोषक राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक चिंतक, शिक्षाविद्ध, बुद्धिजीवी वर्ग के चिंतन व मनन का यह मूल विषय होना चाहिए कि संत, दीन व दलितों के मसीहा और हिन्दुस्तान की आत्मा ग्रामों में है, इस सत्य का उद्घाटन करने वाले गांधीजी के प्रति क्या यह श्रृद्धांजली पर्याप्त है।

राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का नित्य क्षीण व जर्जर होता स्वरूप गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को व्यावहारिक, यथार्थता के साथ स्थापित करने की बुद्धिमता में ही निहितार्थ है तभी इस महापुरूष को सच्ची श्रृद्धांजली अर्पित होगी। विविध घटकों के समुचित विश्लेषण के साथ प्रस्तुत पत्र में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना का अवधारणात्मक वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदु :– स्वराज्य, वैश्विकता, प्रशासनिक चिंतक, अभ्युदय, स्वदेशी, स्वावलम्बन, सत्याग्रह, सहकारिता, आत्मनिर्भरता।

भारत गाँवों का देश है, इसकी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है दुनिया में अनेक संस्कृतियों के मध्य भारतीय संस्कृति की अलग पहचान है। गांव सामुदायिक जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण है वेदों का मंत्र है विश्व पुष्टे यामे अस्मिन अनातुरम अर्थात मेरे गाँव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। यह दर्शन बिना स्वराज्य के नहीं हो सकता। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा वैदिक विचारों का ही विस्तार है।

स्वराज एक पवित्र एवं वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मशासन और आत्मसयंम। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निंरकुश आजादी का या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज्य शब्द में नहीं है। स्वराज्य से गांधीजी का अभिप्राय लोक सम्पत्ति के अनुसार होने वाला शासन है। गांधी के मतानुसार सच्चा स्वराज्य थोडे लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं है, बल्कि जब सत्ता का दुरूपयोग होता हो तब सब लोगों द्वारा प्रतिकार करने की क्षमता उसमें है।

राजनीतिक स्वतंत्रता से यह आशय नहीं है कि हम पाश्चात्य राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था का यथा स्वरूप अन्धानुकरण करें, उन देशों की शासन पद्धतियाँ उनकी अपनी प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, यह लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। स्वराज्य सत्य और अहिंसा के शुद्ध साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के द्वारा कायम रखा जा सकता है। सच्ची लोकसत्ता या जनता स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसक साधनों से नहीं आ सकता। महात्मा गांधी साध्य व साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे।

गांधीजी के ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धांत

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई तीव्र क्रांति के कारण ''वैश्विक गाँव'' की अवधारणा का सूत्रपात हुआ है ऐसी स्थिति में गांधीजी के ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धांतों के द्वारा 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श की व्यावहारिकता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा गांधी केवल आदर्शवादी व विचार नेता ही नहीं थे अपितु अपने विचारों को कर्मो के रूप में साकार कर जीवन पर्यन्त व्यावहारिक स्वरूप में ढालने के लिये प्रयासरत रहे। गांधीजी ने गाँवों को भारत की आत्मा कहा और ग्रामीणों के उत्कर्षपूर्ण जीवन के लिये हमेशा उत्कृष्ट, आत्मनिर्भर, आदर्शवादी पंचायतीराज और ग्राम स्वराज्य की धारणा का प्रशस्तीकरण किया, जिसके व्यावहारिक क्रियान्वयन से ग्राम सम्पूर्ण विकास की दिशा में प्रवाहित हो सकते है। वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था इसी गांधीवादी स्वरूप को आधार बनाकर फलीभूत हुई है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धांत निम्नलिखित है।

1. मानव का सर्वोच्च स्थानः–

गांधीजी की कल्पना के ग्राम स्वराज्य का सबसे आधारभूत और सर्वप्रथम सिद्धांत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' एवं 'सर्वभूत हिताय' है। मानव का सर्वोच्च ध्येय है लोगों को सुखी बनाना और इसके साथ उनकी बौद्धिक और नैतिक उन्नति भी करना। नैतिक उन्नति से तात्पर्य आध्यात्मिक उन्नति से है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य किया जाए तो उसका एकमात्र ध्येय मानव हित व कल्याण ही होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिये मूलभूत व न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किसी भी राष्ट्र की सुव्यवस्थितता की कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि उस राष्ट्र में कितने धनकुबेर है बल्कि यह होनी चाहिए कि उस राष्ट्र में कोई भुखमरी का शिकार न हो। सभी व्यक्तियों को आजीविका का पूर्ण अधिकार हो। राष्ट्र द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाएं इस प्रकार हों कि सम्पूर्ण मानव शक्ति की अधिकाधिक सहभागिता हो।

2. समानताः–

गांधीजी की यह मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित व विकास के लिये समान अवसर मिलना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले तो वह समाज के अन्य व्यक्तियों की तरह अपना भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सकता है। जब तक भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही विकास का समन्वय व समायोजन नहीं होगा समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्राम स्वराज के लिये समानता आवश्यक घटक है। गांधीजी के अनुसार जिस प्रकार एक सच्चे नीतिधर्म में और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीतिधर्म के उच्च आदर्शों का विरोध नहीं करता है, जो अर्थशास्त्र निर्बलों के शोषण करने के तरीके बताता है वह एक सच्चा अर्थशास्त्र नहीं है। सच्चा अर्थशास्त्र वह है जो सामाजिक न्याय का समर्थन करता है और समभाव से सभी जब कल्याण की बात करता हो। समान वितरण के आदर्श की पूर्णरूपेण प्राप्ति बहुत कठिन कार्य है इसलिए न्यायपूर्ण वितरण के आदर्श की बात गांधीजी करते है।

गांधी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के लिये समानता को एकांगी रूप में नहीं देखा बल्कि मुकम्मल रूप से विचार करते हुये कहा कि व्यक्ति दोनों ही सामाजिक व आर्थिक स्तरों पर जब तक बराबरी का दर्जा हासिल नहीं करेगा, तब तक समानता का मकसद पूरा नहीं होगा। वे यह चाहते थे कि अहिंसापूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिये आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। इसलिए गांधीजी ने सबके विकास के लिये और समानता के लिये लघु व कुटीर उद्योगों की वकालत की यह आर्थिक समानता के लिये गांधी द्वारा उठाया गया बड़ा कदम है। पूंजीपति वर्ग और मजदूरों के मध्य जो भारी असमानता दिखाई देती है उसे दूर किया जाए। पूंजीपतियों के पास जो अनर्गल सम्पत्ति है उसमें कमी की जाए और मजदूरों व निर्धन वर्ग के पास सम्पत्ति की अधिकता हो। जब तक सीमित संख्या के पूंजीपति और करोड़ों की संख्या में निर्धनों के बीच जमीन–आसमान का अंतर रहेगा तब तक अहिंसा के आधार पर राज्य व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। और यदि यह व्यवस्था अधिक दिन तक रही तो निर्धन और असहाय जनता देश में हिंसक क्रांति कर देगी।

3. विकेन्द्रीकरणः–

यह शक्ति केन्द्रों का विसर्जन है। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से सामान्य से सामान्य व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। शक्ति के लगभग सभी लोगों ने सत्ता का अनिवार्य गुण स्वीकार किया है जो कि दमनकारी व शोषण की व्यवस्था का जन्म देती है। गांधी ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात कही। आर्थिक केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है जो लधु व कुटीर उद्योगों के विकास के साथ ही सम्भव हो सकता है। यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है तो उसे केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण को अपनाना होगा। केन्द्रीकरण की नीति अपनाने के परिणामस्वरूप उसको कायम रखने के लिये हिंसाबल की अनिवार्यता होगी। अतः भारत को ग्राम प्रधान बनाना होगा और गाँवों को सशक्त और सबल बनाने से किसी प्रकार का कोई खतरा या आशंका नहीं होगी। लेकिन भारत यदि शहर–प्रधान होगा तो अत्यन्त शक्तिसम्पन जल, थल व वायु सेना क होते हुये भी सदैव विदेशी आक्रमण का भय रहेगा। अतः नवीन भारत का निर्माण कारखानों की सभ्यता पर नहीं किया जाए बल्कि स्वावलम्बी एवं स्वाश्रयी के आधार पर किया जाए तभी शोषण से मुक्त और अहिंसा पर आधारित भारत का निर्माण किया जा सकेगा।

4. स्वदेशीः–

स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है, मनुष्य का पहला धर्म अपने स्वदेश का होना चाहिए। इस आग्रह से हम आर्थिक सम्पन्नता और विकास की दिशा को सुनिश्चित कर सकते है। गांधीजी के लिये स्वदेशी एक उपवास के समान था जिस प्रकार व्रत एक अडिग निश्चय होता है, एक संकल्प होता है उसी प्रकार गांधीजी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को नजदीक से देख रहे थे उन्होनें लघु–कुटीर उद्योगों का ह्रास तथा बेरोजगारी का बढ़ता प्रभाव से स्वदेशी का व्रत धारण किया।

स्वदेशी वस्तुतः एक साझा समन्वय का उपक्रम है इसका मूल धर्म अपनी प्रकृति में विधमान रहते हुये किस प्रकार सबका अभ्युदय तथा सबके अभ्युदय में स्वयं व राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः गांधी का स्वदेशी का विचार समुन्नत गांव व राष्ट्र का विकास है। इस प्रकार स्वदेशी स्वधर्म है। दोनों ही एक–दूसरे के पर्याय है। जिस प्रकार राष्ट्र की चिंता करना उसके हित की चिंता करना स्वधर्म है उसी प्रकार स्वदेशी विचार रखना व उसका पालन करना स्वधर्म है। इस स्वदेशी स्वधर्म से निरंतर समाज के अंतिम व उपेक्षित वर्ग की सेवा सामाजिक स्तर सुधार और आर्थिक स्तर सुधार के रूप में की जा सकती है। गांधी जी के समक्ष गरीबी का वीभत्स रूप था। चंपारन से लेकर भारत के तमाम हिस्सों में गरीबी का जो आलम था वो असहनीय था। गांधीजी ने इसका कारण आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी के न होने को स्वीकार किया। इस प्रकार ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में स्वदेशी का धर्मभाव मील का पत्थर है जिसके बिना ग्राम स्वराज्य की संकल्पना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती।

5. स्वालम्बनः–

स्वावलम्बन की भावना का विकास की भी ग्राम स्वराज्य में अत्यन्त आवश्यक है। समाज का प्रत्येक घटक गाँव या लोगों का एक ऐसा छोटा समूह होना चाहिए जिसकी व्यवस्था की जा सके और जो आदर्श की दृष्टि से स्वयं पूर्ण एवं आत्मनिर्भर हो। स्वावलम्बन का सीधा सम्बंध प्रकृति के साथ समन्वय से है। यह समन्वय ही व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाता है। प्रत्येक गांव को स्वयं अपने पैरो पर खड़ा होना होगा, उसे अपने नागरिकों को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करनी होगी। एक स्वावलम्बी ग्राम के निर्माण के लिये पहला कार्य होगा कि वह अपनी आवश्यकतानुसार सारा अनाज एवं कपास स्वयं उत्पन्न करे। अनाज एवं वस्तु के क्षेत्र में स्वयं को आत्म निर्भर बनाना होगा कि विदेशी आक्रमण के विरूद्ध वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके तभी ग्राम स्वराज्य के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है।

6. सहयोगः–

ग्राम स्वराज्य पर आधारित व्यवस्थाओं में सभी व्यक्तियों को परस्पर सहयोग से रहते हुये सबकी भलाई के लिये कार्य करना चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो सके गांव का प्रत्येक कार्य सहयोग के आधार पर किया जाना चाहिए। गांधी के मत में सहकारिता की पद्धति किसानों के लिये अधिक आवश्यक है क्योंकि जमीन सरकारी है। अतः सरकारी जमीन पर कृषि सहकारिता के आधार पर की जाए तो वह अधिक उपयुक्त होगी और उस पर किसानों को लाभ भी अधिक मात्रा में होगा। लेकिन यह सहकारिता पूर्ण अहिंसा पर आधारित होगी।

7. सत्याग्रहः–

सत्याग्रह एक ऐसी प्रविधि है जिसका विकास गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिये किया था। सत्याग्रह के संदर्भ में गांधीजी का मत है कि ‘‘सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी।

8. कायिक श्रमः–

ग्राम स्वराज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत शरीर–श्रम (Bread-Labour) का है। गांधीजी यह मानते हैं कि शरीर–श्रम न करने वालों को खाने का क्या अधिकार हो सकता है? अतः प्रत्येक स्त्री–पुरूष जीवित रहने के लिये शरीर–श्रम करे। मनुष्य को अपनी बुद्धि की शक्ति का उपयोग आजीविका या उससे भी ज्यादा प्राप्त करने के लिये नहीं, बल्कि सेवा के लिये, परोपकार के लिये करना चाहिए। इस नियम का पालन करने का चमत्कारी असर होता है, परमशांति मिलती है। ईश्वर ने मानव शरीर का सृजन इसलिए किया है कि वह अपने शारीरिक श्रम द्वारा स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था करें। अतः व्यक्ति यदि बिना शारीरिक श्रम किए भोजन करता तो वह एक प्रकार से चोर है। गांधीजी पर इस सिद्धांत का प्रभाव टॉल्सटॉय के विचारों से पड़ा और यही बात उन्हें गीता के तीसरे अध्याय में भी दृष्टिगत हुई।

गांधीजी यह स्वीकार करते हैं कि कायिक श्रम का यह आदर्श एक तरह से अप्राप्य आदर्श है लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि व्यक्ति अपना प्रयत्न न करे बल्कि यदि शारीरिक श्रम के माध्यम से जीविकोपार्जन किया जाए तो व्यक्ति की आवश्यकताऐं बहुत सीमित हो जायेंगी।

मनुष्य को मात्र बौद्धिक श्रम से ही जीविकोपार्जन नहीं करना चाहिए। शारीरिक श्रम का पालन करने से समाज की रचना में एक मूक क्रांति हो जायेगीं मनुष्य की विजय जीवन– संग्राम के स्थान पर परस्पर सेवा के संग्राम की स्थापना कर देने में होगी और पशु धर्म के स्थान पर मानव–धर्म स्थापित हो जायेगा। गांधीजी का मानना था कि बुद्धि द्वारा किया गया शरीर–श्रम समाज सेवा का सर्वोत्कृष्ट रूप है, अतः ऐसा कायिक–श्रम समाज सेवा से भिन्न नहीं है।

9. संरक्षकताः–

ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के मूल में आर्थिक समानता की भावना निहित है तथा आर्थिक समानता की जड़ में एक धनिक का संरक्षकता के सिद्धांत में विश्वास निहित है। इस आदर्श के अनुसार धनवान को अपने पडौसी से एक कौड़ी भी ज्यादा रखने का अधिकार नहीं हैं जब मनुष्य अपने आप को समाज का सेवक मानेगा, समाज की खातिर धन कमायेगा, समाज के कल्याण के लिये उसे खर्च करेगा तब उसकी कमाई में शुद्धता आयेगी और उसके साहस में भी अहिंसा होगीं आर्थिक समानता की अहिंसक तरीके से स्थापना होगी।

10. सर्वधर्म समभावः–

गांधी जी की यह मान्यता है कि समस्त धर्म मूल में एक ही है। यद्यपि वे पेड़ पत्तों की तरह ब्योरे में हैं और ब्रह्म रूप में एक दूसरे से अलग–अलग हैं लेकिन वे सब एक ही तने से फूटते है और उसी से उनका संबंध होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी दो पत्ते एक से नहीं होते, फिर भी आपस में कभी नहीं लड़ते। संसार में जितने भी प्रचलित प्रख्यात धर्म है, वे सब सत्य को प्रकट करते हैं। वे सब मानव द्वारा व्यक्त हुए हैं इसलिए उन सबमें असत्य का मिश्रण हो गया है। इसका अर्थ है कि हर धर्म का मान है और ग्राम स्वराज्य में हर एक धर्म की अपनी पूरी और बराबरी की जगह होगी। सभी धर्म को समानता का स्तर प्राप्त होगा और प्रत्येक धर्म के अनुयायी अन्य धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे।

11. पंचायती राजः–

ग्राम के शासन के प्रबंधन के लिये पंचायती राज की व्यवस्था क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु प्रति वर्ष गांव के पांच व्यक्तियों की एक पंचायत चुनी जायेगी। इसके लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के व्यस्क स्त्री–पुरूषों को अधिकार होगा कि अपने पंच चुन ले।

महात्मा गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज्य की इस व्यवस्था में प्रचलित अर्थों में सजा एवं दण्ड की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए यह पंचायत अपने एक साल कार्यकाल में स्वयं धारासभा, न्यायसभा और व्यवस्थापिका सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी।

ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था सम्पूर्ण भारत में लागू की जा सके और वे परस्पर सहयोग एवं समन्वय से कार्य कर सकें, इस हेतु गांधीजी ने एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत किया है, जो उनकी समाज व्यवस्था के प्रति गहन अन्तदृष्टि एवं सूझबूझ का परिचायक है।

12. अभिनव शिक्षा पद्धतिः–

ग्राम स्वराज्य सच्चे अर्थ में प्रतिफलित तभी होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। गांधीजी की नजर में शिक्षित होने का अभिप्राय शरीर, मन और आत्मा की शिक्षा। अक्षर ज्ञान मनुष्य का न तो अंतिम लक्ष्य है और न ही उसकी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज्य तभी फलीभूत होगा जब ऐसी नयी तालीम व्यवस्था लागू होगी।

शिक्षा ज्ञान की प्रक्रिया को तेज करती है। अर्थात शिक्षा वह उपकरण है जो मनुष्य को ज्ञानी बनाती है, यहाँ ज्ञानी बनने का अर्थ है विवेकशील होना और विवेकशील होने का अर्थ है सत्य और असत्य का अन्वेषण करना विवेकशील वहीं हो सकता है जो सही व गलत की पहचान कर सके। यह बिना शिक्षा के सम्भव नहीं है। गांधीजी ने इस दबाव को महसूस किया। उनकी चिंता थी कि पश्चिमी ज्ञान का प्रभाव इतना व्यापक होता जा रहा है कि व्यक्ति की सफलता और सार्थकता का अंतर मिटता जा रहा है। सफलता व्यक्ति की नितांत एक निष्ठ उपलब्धि है जबकि सार्थकता एकनिष्ठ होते हुये भी सर्वजनीन हो जाती है। गांधी व्यक्ति और समाज की सार्थकता के हिमायती थे इसलिए नयी तालिम व्यवस्था को प्रस्तावित करते हुये कहा कि शिक्षा वहीं होती है जो व्यक्ति की आत्मा का विकास करें। अभिनव शिक्षा पद्धति ग्राम को आत्मनिर्भर बनाती है।

गांधीजी के ग्राम स्वराज्य के उपरोक्त बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर उनके ग्राम स्वराज्य में निम्नलिखित मूल विशेषताऐं परिलक्षित होती है–

1. **शासन की आधारभूत इकाई ग्राम–** गांधीजी के ग्राम स्वराज्य दर्शन में ग्राम शासन की सबसे महत्वपूर्ण व आधारभूत इकाई है। सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न व सशक्त इकाई ग्राम ही होगी। जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पृथक–पृथक स्तरानुसार कार्य होंगे अर्थात किसी भी स्तर पर कार्यों की अधिकता नहीं होगी न ही कार्यों का अतिव्यापन होगा। शासन का प्रत्येक स्तर अपना कार्य स्वयं करेगा तथा उच्च स्तर मात्र समन्वय का कार्य करेगा इससे समूची शासन व्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा।
2. **जन सहभागिता–** ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था में निर्णय बहुमत से नहीं किये जायेंगे बल्कि निर्णय सर्वानुमति अथवा सर्वसम्मति से किया जायेगा अर्थात ग्राम सभा में लिया गया निर्णय सर्वसम्मत्ति से होगा। प्रत्येक ग्रामीण को निषेध का अधिकार होगा क्योंकि यह एक अनुभवसिद्ध तथ्य है कि सत्य का निर्णय कभी बहुमत से नहीं होता बल्कि सर्वसम्मति ही सत्य के अधिक निकट होती है। कभी–कभी सम्पूर्ण समाज के निर्णय के विरूद्ध एक व्यक्ति का कार्य भी सत्य सिद्ध हो सकता है। मानव समाज की विकास यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आत है जब सम्पूर्ण समुदाय के विरूद्ध एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय अधिक सही होता है।
3. **राष्ट्रीय सुरक्षा–** गांधीजी की जो ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था है, उसके संदर्भ में प्राय एक प्रश्न उठाया जाता है कि, इस विकेन्द्रित राज्य सत्ता में राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? गांधीजी का यह विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के बाद तो समूची विश्व की जनता की आवाज सुनी जाएगी परन्तु जब तक ऐसी व्यवस्था आए उससे पूर्व राष्ट्र की सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी एकता है। यदि जनता में यह प्रबल भावना विद्यमान हो कि राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई खतरा होगा तो वे एकजुट होकर दृढ़ता से मुकाबला करेंगे तभी उस राष्ट्र की एकता कायम रह सकती है। यह सभी सम्भव है जब ग्राम स्वराज्य मजबूत होगा।

   उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर गांधीजी ने एक आदर्श भारतीय ग्राम के चित्र को स्पष्ट किया उन्होंने लिखा है ''मेरी कल्पना की ग्राम इकाई मजबूत से मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गांव में एक हजार आदमी रहेंगे। ऐसे गांव को अगर स्वावलम्बन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाए तो वह बहुत कुछ कर सकता है।''
4. **आदर्श भारतीय ग्राम–** गांधीजी की परिकल्पना के आदर्श ग्राम स्वावलम्बी ग्राम के विकास के लिये अनिवार्य होती है। स्वच्छता की पूरी–पूरी व्यवस्था होगी, गलियां व सड़कें धूल से मुक्त होंगी। झोपड़ियों में पर्याप्त प्रकाश व हवा का प्रबंध होगा। झोपड़ियों में आंगन व खुली जगह होगी, जहां घर के लोग साग–सब्जियां उगा सकेंगे, मवेशियों को रख सकेंगे, गांव में सबकी आवश्यकतानुसार कुऐं होंगे, सबके लिये पूजा का स्थान होगा, सभा भवन होगा, सरकारी डेयरी होगी, प्राथमिक व माध्यमिक शालाऐं होंगी, गांव अनाज, साग–सब्जि, फल, खादी स्वयं अपने स्तर पर पैदा करने में सक्षम होगा, ग्राम पंचायत होगी ऐसा ग्राम स्वावलम्बी व आत्म निर्भर होगा। ग्रामीण लोगों को ऐसी कला व कारीगरी का विकास करना होगा जिससे अपने गांव के बाहर उनके सामान की कीमत की जा सके, जब शनै– शनै गांव का पूर्ण विकास हो जाएगा तो वहां पर कलाकारों की कोई कमी नहीं रहेगी। गांव में कवि, कलाकार और विद्धानों की अधिकता होगी जो ग्रामीणों की आत्मा एवं उनके मस्तिष्क को संतुष्ट करेंगे। गांवो की पुर्नरचना इस प्रकार की जायेगी कि वहां पर जीवन की समस्त मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध हो।

ग्राम स्वराज्य के आदर्श ग्राम की अर्थनीति पूंजीवादी व साम्यवादी अर्थनीति से पृथक एक ऐसी सरल ग्राम अर्थव्यवस्था होगी जिसका केन्द्र मनुष्य है, जो शोषण रहित है और विकेन्द्रीकृत है। वह स्वेच्छापूर्ण सहयोग के आधार पर अपने प्रत्येक नागरिक को पूरा काम देने का प्रबन्ध करती है और अन्न, वस्त्र, खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योगों पर विशेष बल देती है। गांधीजी के अनुसार विभिन्न प्रकार के गामोद्योग जैसे दूध का उद्योग मधुमक्खी पालन, चमड़े का उद्योग, साबुन तथा हाथ से कागज

निर्माण आदि का विशाल व व्यापक स्तर पर स्थापित करने के लिये ग्रामिणों को प्रोत्साहित करना होगा तभी वास्तविक रूप से गांवों का उत्थान होगा।

ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिये गांधीजी ने इसके प्रत्येक पक्ष पर विचार किया। उनके अनुसार गांवों में स्वास्थ्य सुविधायें पर्याप्त नहीं है और अधिसंख्य जनता कुपोषण व बीमारियों की शिकार है। निर्धनता के कारण गांवों में मृत्यदर अधिक है ताकि महंगी चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गांधीजी ने प्राकृतिक चिकित्सा अथवा कुदरती उपचार पद्धति को आदर्श बताते हुये, प्रयोग पर बल दिया। कुदरती इलाज से गांधीजी का अभिप्राय पंच महाभूतों–पृथ्वी अर्थात मिट्टी, पानी, आकाश, तेज एवं वायु के प्रयोग के द्वारा शारीरिक बीमारियों के निदान से है। जिनसे इस शरीर का निमार्ण हुआ है। गांधीजी ने अपनी पुस्तक 'आरोग्य की कुंजी' में बहुत ही विस्तार से इन पंचतत्वों के माध्यम से विविध रोगों के उपचार के तरीके बताये है, जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुये है।

ग्राम सेवक ग्राम सेवा की कल्पना को साकार रूप देने वाला एक सशक्त माध्यम है जो ग्राम के निवासियों को एक आदर्श नागरिक बनाना सिखाएगा तथा गांव में स्वच्छता, आरोग्य रक्षा एवं उसके उसके विकास की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में गांव का सहयोग लेगा। एक आदर्श ग्राम सेवक के लिये गांधीजी ने कुछ विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण भी किया है जैसे– ईश्वर में आस्था रखने वाला हो, सत्य और अहिंसा को धर्म मानता हो, चरित्रवान हो, आदतन खादीधारी हो, कातता हो, निर्व्यसनी हो और अनुशासित हो। ग्राम सेवक में इन योग्यताओं व दिशा निर्देशक तत्वों के उल्लेख के साथ–साथ गांधीजी ने एक आदर्श ग्राम सेवक के कर्तव्य भी बताये जैसे वह सर्वधर्म समभाव का स्वयं पालन करे व ग्राम वासियों को जागरूक करे स्त्री–पुरूष में भेदभाव के बिना सबको समान अवसर के आदर्श में विश्वास उत्पन्न करे, गांव को संगठित करे, स्वयं भी स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बने और ग्रामवासियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनको भी स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाए, खेती व गृह उद्योगों के लिये प्रोत्साहित करे, अभिनव शिक्षा पद्धति का प्रयोग करवाये, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की योग्यता की जानकारी दे व मतदाता सूची में ग्रामवासियों का नाम दर्ज करवाये। ग्राम सेवक का कर्तव्य वस्तुतः अपने ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में परिणित करने के लिये निरंतर प्रयासरत होना चाहिये।

अंततः यह कहा जा सकता है कि ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को साकार करने में सरकार की अहम भूमिका होगी। सरकार ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास के लिये ग्रामीण जनता को तैयार व प्रोत्साहित करे, जनता को सहयोग करे व इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये अथक प्रयास करे। गांधीजी का चरखा व करघा एवं अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के समर्थन एवं औद्योगीकरण के विरोध के पीछे बेरोजगारी की समस्या का समाधान, मानव श्रमशक्ति को प्रोत्साहित करना तथा मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन दर्शन निहित है। गांधीजी की कल्पना के ग्राम स्वराज्य में आर्थिक अवस्था ही आदर्श नहीं है अपितु सामाजिक अवस्था भी आदर्श थी, इसलिए वे सभी सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन पर भी जोर देते थे। अस्पृश्यता व मधपान जैसी सामाजिक बुराइयों के घोर विरोधी थे वे इन्हें ग्रामों की प्रगति में भी बाधक मानते थे। यदि स्वतंत्रता के पश्चात् की स्थितियों का अवलोकन करें तो बलवंतराय मेहता समिति से लेकर 73वां संविधान संशोधन तक विभिन्न समितियों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली में अनेक उतार चढ़ाव व अंतराल देखने में नजर आता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले दशकों मे विकासात्मक दृष्टिकोण से इन संस्थानों को फिर से एक बार नया रचनात्मक अमली जामा पहनाया गया। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 मे पंचायतीराज व्यवस्था को न केवल नयी दिशा बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को सीचंने में भी सार्थक सिद्ध हुआ है। उन परिस्थितियों में जब पंचायतीराज व्यवस्था डगमगाने लगी हो तो इस संशोधन ने सबलता व मजबूती प्रदान की है। वास्तव में यह संशोधन कितना प्रबल व असरदार रहा तथा पिछले दशकों में पंचायतीराज प्रणाली की उपलब्धियों का लेखा–जोखा देखा जाए तो सम्पूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही समाधान कारक स्थिति नजर नहीं आती है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राजप्रणाली को कार्य करने के लिये ज्यादा अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन जनता आज भी ग्राम स्वराज्य की संकल्पना से वंचित रह गई है। वर्तमान में बढ़ती हुई समस्याओं, आधुनिकता एवं अंतराल को दृष्टिगत रखते हुये पंचायतीराज संस्थाओं का अत्यधिक रावलीकरण, अधिकार सम्पन्न बनाना, कार्यशैली व नेतृत्व की समस्याओं का निराकरण अति आवश्यक है ये केवल स्थानीय संस्थाऐं हैं एक स्वायत्तशासी सरकार नहीं वर्तमान में भी राज्य सरकारों पर इनकी निर्भरता इनको आत्मनिर्भर बनने में बाधक है।

ग्रामीण विकास हेतु वैकासिक नीतियों के निर्माण के साथ–साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास रोजगार सृजन, शैक्षिक, औद्योगिक विकास, गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण स्तर पर ही कुटीर– हाथकरघा उद्योगों का विकास, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विस्तृत

जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराना, ऐसे अनेक पहलू हैं जिन पर गहन चिन्तन व मनन अपेक्षित है तभी ग्राम स्वराज्य की गांधीजी की कल्पना व्यावहारिक सिद्ध होगी।

वर्तमान विश्व जहाँ आज कोरोना महामारी से ग्रसित है लॉकडाउन की स्थिति में देश में शहरों में रह रहे करोड़ों प्रवासी मजदूर रोजगार समाप्त होने की स्थिति में दो वक्त की रोटी व भावनात्मक सहारे की अपेक्षा से शहरों से गांवों की ओर पुनः पलायन कर रहे है इससे शहरों व गांवों दोनों के लिये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति आगामी वर्षों में क्षेत्रिय असंतुलन व आर्थिक असमानता की भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगी, जो कृषि देश की अर्थव्यवस्था में 16.5 प्रतिशत योगदान के बावजूद लगभग 45 श्रम शक्ति को खपाए हुये हैं वह शहरों से लौटे करोड़ो लोगों का भार कैसे ढो पायेगी। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर व मार्केटिंग तंत्र पर भारी निवेश करना होगा। यदि जिला प्रशासन को अधिक संवेदनशील बना दिया जाए तो वह ग्रामीण अंचलों में स्वतः स्फूर्ति तरीके से उभर रही उद्यमशीलता को मॉडल बनाकर विकसित कर सकता है। वस्तुतः वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गांधीजी का आत्मनिर्भर गांवों वाला ग्राम स्वराज्य मॉडल ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

सन्दर्भ सूची

1. यंग इण्डिया, 19 मार्च, 1931, पृ. स. 38
2. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित्र मानस, पृ. स. 220
3. हिन्दी नवजीवन, 29 जनवरी, 1925, पृ. सं. 198
4. गांधी हरिजन सेवक, 27 मई, 1959, पृ. स. 143
5. गांधी हरिजन सेवक, 2 अगस्त, 1942, पृ. स. 8
6. गांधी हरिजन सेवक, अगस्त 1944, पृ. स. 72
7. गांधी सत्याग्रह और समाज, 1940, पृ. स. 10
8. गांधी सत्याग्रह और मैं, 1942, पृ. स. 2
9. पाण्डेय, प्रदीप कुमार, गांधी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन हिन्दी माध्यम कार्यान्यवन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1996, पृ. स. 29
10. महात्मा गांधी, ग्राम सेवा, सस्ता साहित्व मण्डल, प्रकाशन, नई दिल्ली, सन् 1969, पृ. सं. 11
11. हिन्दी नवजीवन 26 दिसम्बर 1924, पृ. स. 155
12. सत्याग्रह आश्रम का इतिहास सन् 1959, पृ. स. 40-44
13. यंग इण्डिया, 13 अक्टूबर 1921 पृ. स. 325
14. हरिजन सेवक संघ, 5 जुलाई, 1935, पृ. स. 160
15. हरिजन सेवक 10 नवम्बर, 1946, पृ. स. 387
16. रचनात्मक कार्यक्रमः नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, सन् 1989, पृ. स. 40-41
17. गांधीजी, आरोग्य की कुंजी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, सन् 2000, पृ. स. 34
18. हरिजन सेवक, 22 फरवरी, 1948, पृ. स. 49-50
19. हरिजन सेवक, 2 जून, 1946, पृ. स. 165
20. अर्चना सिन्हा, गांधीयन फिलोसिफी ऑफ सर्वोदय, झांकी प्रकाशन, पटना, सन् 1978
21. प्रो. बी. एम. शर्मा, डॉ. रामकृष्ण शर्मा, डॉ. सविता शर्मा, गांधी दर्शन के विविध आयाम, 194-197
22. रामकृष्ण शर्मा, सर्वोदय, सर्वोदय सहित्य संघ, काशी, सन् 1979
23. दिनेश खरेः पंचायत राज कैसा हो? अशोक प्रकाशन, जयपुर, सन् 1964
24. वी. पट्टामि सीमा रमैयाः गांधी और गांधीवाद, शिवलाल अग्रवाल, आगरा, सन् 1957
25. हरिभाऊ उपाध्यायः गांधीः विचार व प्रभाव नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, सन् 1966
26. शंभूरत्न त्रिपाठीः गांधी धर्म और समाज, समाजशास्त्र संसद, सन् 1964,
27. जे.बी.कृपलानी : महात्मा गांधी, जीवन और चिंतन, प्रकाशन मंदिर, दिल्ली सन् 1978
28. डा.बी.एन. पाण्डेयः गांधी महात्मा, समग्र चिंतन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, सन् 2000
29. निर्मला देश पाण्डेयः गांधी और ग्राम स्वराज्य स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, सन् 2000
30. गांधी एवं स्वराज्य, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन सन्, 1983